

पत्र क्र. 19 कार्य/2020-21  
27

सागर दिनांक 30/12/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(भू-प्रबंध)  
सतपुड़भवन, वन विभाग  
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- राष्ट्रीय राजमार्ग 43विस्तार गुलगंज – अमानगंज – पवई – कटनी मार्ग के खण्ड किमी. 43+00 से किमी. 77+00 तक (बारना नदी, ग्राम – कूपी से केन नदी, ग्राम – उडला, अमानगंज) चौड़िकरण एवं एकरेखीकरण करने मे पन्ना रिजर्व टाईगर के बफर जोन वन क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ऑन लाईन प्रस्ताव के लिये अधिकृत किये जाने बावत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 43विस्तार गुलगंज – अमानगंज – पवई – कटनी मार्ग के खण्ड किमी. 43+00 से किमी. 77+00 तक (बारना नदी, ग्राम – कूपी से केन नदी, ग्राम – उडला, अमानगंज) चौड़िकरण एवं एकरेखीकरण करने मे पन्ना रिजर्व टाईगर के बफर जोन वन क्षेत्र के व्यपवर्तन का प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय की वेब साईट में PARIVESH में ऑन लाइन लगाने हेतु श्री के. सी. जैन, उपयंत्री, उपसम्भाग – छतरपुर को अधिकृत किया जाता है।

कार्यपालन यंत्री  
लो.नि.वि.रा.रा. संभाग  
सागर